

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या— /स्पीड गवर्नर/2018

दिनांक 14 सितम्बर, 2018

आदेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-290(अ) दिनांक 15.04.2015, अधिसूचना संख्या-424(अ) दिनांक 01.05.2017 द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-85/ix-1/2016/33/2013 दिनांक 31.01.2017 के साथ पठित अधिसूचना संख्या-690/ix-1/2016 दिनांक 21.09.2017 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत M/s Abhavis Technologies (i) Pvt. Ltd के निम्नांकित स्पीड गवर्नर मॉडल को परिवहन यानों में लगाने की अनुमति विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

SLD Model	TAC No./Date	COP	Total Basic/ Variant Vehicle Model
AT-2301 (Fuel Controlled Type)	CH5325 Dated 25-10-2017	First cop to be established on/before- 30th Sept 2019	92

- 1- प्रत्येक गति नियंत्रक के घटक (component) का सत्यापन उसके चिन्हांकन (जो बारकोड सहित स्टिकर के आकार में हो सकता है) के लिए किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं होंगी-
 - (क) विनिर्माता का प्रतीक/ट्रेडमार्क।
 - (ख) विनिर्माता द्वारा प्रदत्त क्रमिक संख्या।
 - (ग) टेस्ट एजेन्सी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित ए.आई.एस. 037/2004 के अनुसार छः अक्षरों में प्रदर्शित आवंटित टाइप एप्रूवल वर्णसंख्या सूचक संदर्भ अंक चिन्ह।
- 2- गति नियंत्रक का टाइप एप्रूवल और क्रमिक संख्या VAHAN डाटा बेस में, आडिट/निगरानी के लिए एन.आई.सी. द्वारा यथासमय एकीकृत कर दिया जायेगा जिससे परिवहन प्राधिकारी उसका सत्यापन कर सके।
- 3- विंड स्क्रीन के सामने भीतर बायी ओर के ऊपरी भाग पर 100 मिमी×60 मिमी के मानकीकृत आकार का स्टीकर लगा होगा जिसमें 55 मिमी वृत्त में नियत गति सीमा दर्शित होगी और उसके शेष स्थान का उपयोग बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित सूचनाओं के लिए होगा।

टी0आर0/स्पीड गवर्नर/2018

M/s Abhavis Technologies (i) Pvt. Ltd

SLD Model- AT-2301(Fuel Controlled Type)

Page- 1 of 3

- 4- विनिर्माता/उसके अधिकृत डीलर द्वारा वाहनों में स्पीड गर्वनर स्थापित करते समय उसे युक्तिसंगत रूप से बन्द (Sealed) किया जायेगा।
- 5- प्रत्येक गति नियंत्रक विनिर्माता यान में संस्थापित प्रत्येक गति नियंत्रक के रिकार्ड हेतु प्रबन्ध सूचना प्रणाली अभिरक्षित करेगा जिससे गति नियंत्रक के रिकार्ड का किसी भी समय आडिट/त्वरित पुनः प्राप्ति retrieval के लिए उपयोग हो सके।
- 6- निर्माता द्वारा प्रत्येक जनपद में अपने अधिकृत डीलर/सर्विस प्रबन्धक की तैनाती की जायेगी ताकि वाहन स्वामियों को अपेक्षित सेवाये उपलब्ध हो सके।
- 7- प्रत्येक स्पीड गर्वनर निर्माता/उसके अधिकृत डीलर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वाहनों में स्थापित की जाने वाले स्पीड गर्वनर केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-126 में विहित प्रोटोटाईप एजेन्सी से अनुमोदित हो।
- 8- वाहनों पर स्थापित की जाने वाले स्पीड गर्वनर पर वाहन का पंजीयन नम्बर खोदा (engraved)/अंकित किया जायेगा।
- 9- विनिर्माता द्वारा समर्पित किये गये बेसिक/वैरियन्ट मॉडल का वेबसाइट पर प्रदर्शित सूची में सुधार परिवहन मुख्यालय स्तर से किया जायेगा।
- 10-विनिर्माता द्वारा निर्धारित समय पर मानको के अनुरूप प्रोटोटाईप एजेन्सी से प्राप्त सी0ओ0पी0 मुख्यालय को उपलब्ध करानी होगी। कम्पनी के द्वारा समर्पित अभिलेखों/कागजातों एवं प्रस्तुत सूचना के गलत पाये जाने की पुष्टि होती है तो किसी भी समय पर परिवहन आयुक्त, उत्तरखण्ड द्वारा प्राधिकार पत्र को रद्द करते हुये काली सूची में अंकित किया जायेगा।
- 11-विनिर्माता द्वारा कम्पनी के अधिकृत डीलर एवं उनके कार्य स्थल के पूर्ण पते सहित विवरण समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/पंजीयन अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 12-विनिर्माता कम्पनी को अन्य स्पीड गर्वनर मॉडल एवं वाहन मॉडल/वैरियन्ट हेतु अलग से आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 13-अधिकृत डीलर /प्रतिनिधि द्वारा वाहनों पर स्पीड गर्वनर का फिटमेंट अपने कार्यालय/वर्कशॉप में तकनीकी रूप से दक्ष कारीगर द्वारा ही लगाया जायेगा और परिवहन कार्यालय परिसर के आस-पास सचल वाहनों के माध्यम से स्पीड गर्वनर की बिक्री/इंस्टालेशन नहीं किया जायेगा।

संलग्न:-अनुमोदित मॉडल सूची संलग्न।




(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सं०-4076 / टी०आर / 2018 समदिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

- 1-समस्त सम्भागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, (प्रवर्तन/प्रशासन) उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ की उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-85/ix-1/2016/33/2013 दिनांक 31.01.2017 के साथ पठित अधिसूचना संख्या-690/ix-1/2016 दिनांक 21.09.2017 में दिये गये मापदण्डों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा MIS अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कराते हुये इसकी मासिक/क्रमिक सूचना परिवहन आयुक्त मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
- 2-समस्त संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) उत्तराखण्ड।
- 3-सम्बन्धित पत्रावली।
- 4-M/S Abhavis Technology (i) Pvt. Ltd., 1st Floor Sahu Plaza, Hanuman Ganj Katni-483501, Madhya Pradesh, India


(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
↑ उत्तराखण्ड।

Received
14/9/18
Ketan on
behalf of Abhavis

